भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

***

अप्रैल, 2021 के लिए मासिक सारांश

पंचायती राज मंत्रालय, संविधान के 73 वें संशोधन की निगरानी और कार्यान्वयन, परामर्शी कार्य के लिए उत्तरदायी है। पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका में ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरएलबी) के पदाधिकारियों की प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण का लाभ उठाकर प्रशासनिक बुनियादी ढाँचा, बुनियादी सेवाओं आदि को मजबूत करना शामिल है। उपर्युक्त उद्देश्य को साकार करने के लिए मंत्रालय का रोडमैप निम्नलिखित तीन स्तंभों के माध्यम से है:

- वित्त आयोग अनुदान के माध्यम से बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था,
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से आरएलबी का क्षमता निर्माण और
- ग्राम पंचायत विकास योजना और परामर्शी कार्य के माध्यम से समावेशी और भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से अभिसरण और समग्र योजना।

माह के दौरान निम्नलिखित मुख्य गतिविधियाँ थी:

1. कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के कारण राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस-2021 दिनांक 24 अप्रैल, 2021 को वर्चुअल रूप में मनाया गया। इस अवसर पर, 313 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पंचायती राज संस्थानों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार-2021 प्रदान किए गए। इन पुरस्कार विजेता पीआरआई को 46.09 करोड़ रू. के वित्तीय प्रोत्साहन माननीय प्रधान मंत्री द्वारा सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किए गए। उपरोक्त ऐतिहासिक वर्चुअल कार्यक्रम- माननीय प्रधान मंत्री द्वारा सुशोभित एवं संबोधित में भाग लेने वाले कुल 5,70,25,070 नागरिकों को प्रधान मंत्री कार्यालय की पी एम इन्ट्रेक्शन टीम और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन द्वारा संभाले जा रहे पी एम इवेंट्स वेब-पोर्टल पर दर्ज किए गए।
2. माननीय प्रधान मंत्री ने स्वामित्व स्कीम के पॉयलट चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने के उपरोत: राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस अर्थात् 24 अप्रैल को स्वामित्व स्कीम के राष्ट्रीय रोल ऑउट का शुभारंभ किया। इस दिवस पर उन्होनें पॉयलट चरण के तहत हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों के 5002

गांवों में 4.09 लाख सम्पत्ति मालिकों ई-सम्पत्ति कार्ड भी वितरित किए। इसके अलावा, स्कीम के रॉल आउट (वित्तीय वर्ष 2021-2025) के लिए छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरल, त्रिपुरा, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव तथा लक्षद्वीप राज्यों ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरण के लिए अन्य राज्यों के साथ चर्चा चल रही है। माननीय पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में एम.ओ.सी.ए, डी.एस.टी, नीति आयोग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, रक्षा मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के साथ स्कीम के कार्यान्वयन के मुद्दों पर चर्चा की गई और स्कीम के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए सहयोगात्मक कार्य शुरू किया गया। इसके अलावा, दिनांक 15-16 अप्रैल को स्वामित्व स्कीम पर एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन भी आयोजित किया गया जिसमें माननीय पंचायती राज मंत्री, सभी राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियों एवं उद्योगों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। अभी तक, 44,292 गांवों में ड्रोन उड़ान पूरी हो चुकी है।

3. जल शक्ति अभियान- कैच दॉ रेंन अभियान के लिए राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा अपनाए जाने के हिस्से के रूप में विद्यालयों वर्षाजल संरक्षण ढांचों की संस्थापना के लिए राज्यों को सचिव, पंचायती राज और सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित परामर्श भेजे गए हैं। कोविड महामारी में हालिया बढ़ौतरी से लड़ने के लिए पंचायतों/ परम्परागत निकायों को कार्यवाही की शक्ति प्रदान करने के लिए राज्यों को परामर्श भी भेजा गया है।

4. " ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदानों की लेखा परीक्षा" संबंधी लेखा परीक्षा को अन्तिम रूप दिया गया है जिसे मंत्रालय द्वारा शीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। यह दस्तावेज पंद्रहवें वित्त आयोग अवॉर्ड अवधि के दौरान राज्यों में किए जाने वाले सामाजिक लेखा परीक्षा हेतु मानक संदर्भ के रूप में कार्य करेगा।

5. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 2021 को हुई वर्चुअल बैठक में पुर्नोत्थान प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टी एम पी) रोल आऊट किया गया जिसमें राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के पंचायती राज विभागों एवं एस आई आर डी के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। टी एम पी, पी आर आई एवं अन्य हितधारको की प्रशिक्षण गतिविधियों के प्रबंधन एवं निगरानी का एक प्रभावी उपकरण है।

6. आरजीएसए की केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति की चौथी बैठक में 6 राज्यों नामत: छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और तमिलनाडु के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक कार्य योजना (एएपी) पर विचार किया गया। इन राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों की ए ए पी के लिए 759.199 करोड़ रूपए अनुमोदित किए गए। सभी

एएपी पर एम आई एस पोर्टल पर ऑनलाइन विचार किया गया। एएपी का प्रस्तुतीकरण एवं इसका ऑनलाइन अनुमोदन जवाबदेही, पारदर्शिता और काफी हद तक प्रस्तावों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करेगा।

7. पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों को विभिन्न स्त्रोतों से उपलब्ध वित्त के प्रबंधन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ाने के लिए एक उपाय के रूप में राज्यों पर सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएमएमएस) के अपनाने के लिए गहनता से जोर दे रही है। इस संबंध में, यह मंत्रालय राज्यों पर ई-ग्राम स्वराज पर लेखा बंद करने और पी एफ एम एस पर ग्राम पंचायतों को दर्ज करने पर जोर दे रहा है। वर्ष 2020-21 हेतु 83% जीपी ने अपनी मंथली बुक बंद कर दी है और 29 % जीपी ने अपनी ईयर बुक बंद कर दी है।

8. 1,86,039 ग्राम पंचायतें ई-ग्राम स्वराज - पीएफएमएस इंटरफेस (ईजीएसपीआई) पर आ चूकी हैं। वर्ष 2020-21 के लिए 1,54,120 ग्राम पंचायतों ने केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत हुए व्यय को ईजीएसपीआई के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान को जारी रखा है। अप्रैल 2021 माह में 33,115 पंचायती राज संस्थाओं ने पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान के अन्तर्गत हुए व्यय के लिए ईजीएसपीआई का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन लेनेदेन की है।

9. मंत्रालय ने एक एप्लीकेशन - 'ऑडिटऑनलाइन' को ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के अन्तर्गत प्रारम्भ किया है। यह पंचायत लेखों की ऑनलाइन लेखा परीक्षा और आंतरिक एवं वाह्य लेखा परीक्षा के बारे में विस्तरित सूचना के रिकॉर्ड के लिए अनुमति प्रदान करता है। राज्यों को ऑडिट ऑनलाइन पर लाइन जाने के लिए, राज्यों को पूर्व अपेक्षित शर्तें जैसे ऑडिट फ्लो, अनुक्रम डेटा, जोखिम आधारित श्रेणियां इत्यादि प्रदान करना होती हैं। 25 राज्यों से सूचना प्राप्त हो चूकी है। 25 राज्यों ने 14वें वित्त आयोग लेखों की लेखा परीक्षा के लिए ऑडिटर्स (5,757 पंजीकृत) का पंजीकरण और लेखा परीक्षा योजना (वर्ष 2019-20 में 89,107 ग्राम पंचायतों का और वर्ष 2020-21 में 478 ग्राम पंचायतें) की तैयारी प्रारम्भ कर दी है। 24 राज्यों ने जीपी (ऑडिटि) उपयोगकर्ता (1,89,037 ऑडिटि) का सृजन करना प्रारम्भ किया है। 23 राज्यों ने एप्लीकेशन पर टिप्पणियों (4,50,233 टिप्पणियां) को भी दर्ज किया है। साथ ही 19 राज्यों ने लेखा परीक्षा रिपोर्ट (22,259 रिर्पोटें) को जनरेट किया है।

10. पंचायती राज मंत्रालय जमीनी स्तर पर कोविड-19 के खिलाफ गहन सामान्य लड़ाई के वेग को बनाए रखने के लिए पंचायती राज मंत्रालय के सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से लगातार कोविड-19 सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन संबंधि आईईसी सामग्री पोस्ट कर रहा है। ट्रवीट कर रहा है। पुन: ट्वीट कर रहा है। पुन: पोस्ट कर रहा हैं और कोविड-19

वैक्सीनेशन के बारे में जागरूकता भी फैला रहा है। गांवों में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार, प्रत्येक पात्र व्यक्ति के लिए वैक्सीन सुनिश्चित करने के संबंध में जागरूकता संबंधी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस-2021 के अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री के प्रेरणादयक भाषण के अंश और " दवाई भी कड़ाई भी" के मंत्र की अनुपालना सोशल मीडिया एवं बल्क एस एम एस के माध्यम से गहन रूप से प्रकाशित/ प्रसारित किए गए। स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के समय अनुकूल एंव महत्वपूर्ण दिनांक 05/04/2021 के परामर्श, जिसमें देश में सभी जिलों में कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार को अपनाने के लिए एक मिशन मोड दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है, को राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ इस अनुरोध के साथ साझा किय गया कि वे समुदाय/ गांवों में कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु पंचायती राज संस्थानों, उनके चुने हुए प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों की सक्रिय भागीदारी से कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के गहन घटकों के संबंध में जागरूकता सृजन के लिए एक सतत अभियान चलाए। गृह मंत्रालय के दिनांक 27.04.2021 के पत्र के तहत जारी लिखित ऑक्सीजन के प्रयोग का ऑक्सीजन सिलेण्डरों के विनिर्माण में उपयोग संबंधी स्पष्टीकरण राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के पंचायती राज विभागों के साथ इस अनुरोध को साझा किया गया कि वे उपरोक्त स्पष्टीकरण को फील्ड एजेंसियों को प्रसारित करें ताकि चिकित्सा उद्देश्यों के लिए निबाद्ध लिक्विड ऑक्सीजन सिलेण्डरों का निर्माण और प्रेसर स्विंग आबसोरपशन (पी एस ए) सुनिश्चित किया जा सके।

11. अ.शा.पत्र दिनांक 01.04.2021 के संदर्भ में, सप्ताह 4 (02.04.2021 - 08.04.2021) तथा सप्ताह 5 (09.04.2021 से 15.04.2021) के दौरान प्रस्तावित गतिविधियों को पंचायती राज संस्थाओं एवं अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ विभिन्न गतिविधियों के आयोजन करने के अनुरोध सहित राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया गया और आगे की सलाह दी गई की मंत्रालय द्वारा सुझाए गए गतिविधियों के सेट को उनकी उपयुक्तता/ सुविधा/ पसंद/ सामग्री/ विषय आदि के अनुसार संशोधित/ अनुकुलित किया जाना चाहिए।

12. जल संरक्षण आंदोलन " जल शक्ति अभियान कैच द रेन" पर जल शक्ति मंत्रालय द्वारा साझा किए गए माननीय प्रधानमंत्री के समस्त सरपंचों को संबोधित पत्र दिनांक 24 मार्च, 2021 को पंचायती राज मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है तथा डाउनलोड लिंक राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय अ.शा. पत्र दिनांक 09.04.2021 के संदर्भ में यह अनुरोध किया गया है कि माननीय प्रधान मंत्री के पत्र दिनांक 24 मार्च, 2021 को देश की समस्त ग्राम पंचायतों

के सरपंचों/ निर्वाचित प्रमुखों को पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम लिए जाएं, प्रारम्भिक रूप से उन समस्त राज्यों को, जो निर्वाचन नहीं करा रहे थे तत्पश्चात् निर्वाचन राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश (असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी) के सरपंचों को निर्वाचन के बाद भी (02 मई, 2021 के बाद) पहुचाएं जाएं।

13. मंत्रालय ने 09 अप्रैल, 2021 को उपभोक्त संरक्षण और संबंधित मुद्दों पर मध्य प्रदेश की पंचायतों के साथ सचिव, उपभोक्त मामलें विभाग, भारत सरकार द्वारा संबोधन और वर्चुअल चर्चा को सुविधा प्रदान की। इस पहल ने नीति- निर्माताओं और पंचायतों के मध्य उपभोक्ताओं के मुद्दों और हितों पर सार्थक और फलदायी चर्चा को संभव बनाने और ग्रामीण भारत में उपभोक्ता अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के रूप में कार्य किया है।

14. 01 अप्रैल, 2021 तक मंत्रालय के पास 30 शिकायतें/ आपत्तियां लंबित थी और 151 (अर्थात् 141 ऑनलाइन +10 वास्तविक) शिकायतें/ आपत्तियां मार्च माह में प्राप्त हुई। कुल 181 (151 अप्रैल में प्राप्त + 30 पिछले महीने से अग्रेषित) में से 141 शिकायतें/ आपत्तियां फरवरी में निस्तारित कर दी गई और 40 को 01 मई, 2021 तक अग्रेषित किया गया था।

15. अप्रैल, 2021 के दौरान, 66 ई -फाईलें ई- ऑफिस सिस्टम में खोली गई जो माह के दौरान कुल खोली गई फाईलों का 100% है।

Government of India

Ministry of Panchayati Raj

***

Monthly Summary for the month of April, 2021

The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) is responsible for the work of advocacy, monitoring and implementation of Constitution 73rd Amendment. The role of the MoPR involves strengthening the administrative infrastructure, basic services etc. by leveraging technology and capacity building of the functionaries of Rural Local Body (RLB). Ministry's roadmap to realise the above objective is through three pillars:

- Provision of basic services through the Finance Commission Funding,
- Capacity building of RLBs through Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) and
- Convergent & holistic planning through inclusive & participatory process through Gram Panchayat Development Plan (GPDP) and advocacy work.

The following were the main activities during the month:

1. The National Panchayati Raj Day-2021 was commemorated on 24th April on virtual mode due to challenges posed by the COVID-19 pandemic. On this occasion, the National Panchayat Awards-2021 to 313 best performing Panchayati Raj Institutions (PRIs) were conferred. The financial incentives of Rs.46.09 crore to these awardee PRIs were directly transferred to their bank accounts by the Hon'ble Prime Minster. A total number of 5,70,25,070 citizens registered on PM Events web-portal, handled by PM Interactions Team in the PMO and National e-Governance Division (NeGD), for participating in the aforesaid iconic virtual event – graced and addressed by the Hon'ble Prime Minister.

2. Hon'ble Prime Minister launched the National roll out of Scheme SVAMITVA on National Panchayati Raj Day i.e. on 24th April after successful completion of Pilot Phase of the scheme. On this day he also distributed e-property card to 4.09 lakh property owners of 5002 villages of State of Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Uttarakhand, Uttar Pradesh and Rajasthan under the pilot phase. Further, towards the roll out of the Scheme (FY 2021-2025), States of Chhattisgarh, Odisha, Kerala, Tripura, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu and Lakshadweep signed a memorandum of understanding with the Survey of India and discussions are on-going with other States for signing of MoU. A meeting under Chairmanship of Hon'ble Minister, Panchayati Raj with MoCA, DST, DoLR, NITI Aayog, SoI, MoD and MoPR was held to discuss issues related to implementation of Scheme and roadmap to collaboratively work towards successful implementation of Scheme was devised. Also, a National level conference was conducted on 15-16 April on SVAMITVA Scheme, which was attended by Hon'ble Minister, Panchayati Raj, representatives of all States/UTs and experts from various Government agencies and industry. Till now, drone flying has been completed in 44,292 villages.

3. Advisory jointly signed by Secretary, MoPR and Secretary, Department of School Education and Literacy has been sent to the States towards installation of rainwater harvesting structures in schools as part of Jal Shakti Abhiyan – Catch the Rain campaign by the Rural Local Bodies in the States. An Advisory has also been sent to the States towards empowering actions to facilitate the Panachayats /Traditional bodies to combat the recent spike in the Covid pandemic.

4. The guidelines document on "Social Audit of Fifteenth Finance Commission Grants to the Rural Local Bodies" has been finalized which would be shortly published by the Ministry. The document will serve as the standard reference for Social Audit to be taken in the States during the XV FC award period.

5. The revamped Training Management Portal (TMP) was rolled out by Secretary, MoPR in the virtual meeting held on 8th April, 2021, wherein the senior officers of Panchayati Raj Departments and SIRDs of States/UTs were also present. The TMP is an effective tool for managing and monitoring the training activities of PRIs and other Stakeholders.

6. The Annual Action Plan (AAPs) for FY 2021-22 of 6 States namely Chhattisgarh, Goa, Madhya Pradesh, Manipur, Sikkim and Tamil Nadu were considered in the 4th meetings of Central Empowered Committee of RGSA and the AAPs of these states / UTs amounting to Rs. 759.199 crs was approved. All the AAPs were considered online on the MIS portal. The submission of AAPs and its approval online will ensure accountability, transparency and to an extent facilitate quick disposal of proposals.

7. As a measure towards augmenting transparency and accountability in management of finances available to Panchayats from various sources, MoPR has been rigorously pursuing the States for adoption of Public Financial Management System (PFMS). In this regard, the Ministry has been pursuing States for closure of account on eGramSwaraj as well as for Gram Panchayat (GP) registration on PFMS. For the year 2020-21, 83% of the GPs have closed their month books and 29% of the GPs have closed their year books.

8. 1,86,039 GPs have on-boarded eGramSwaraj-PFMS Interface (eGSPI). For the year 2020-21- 1,54,120 GPs have carried out online payments through eGSPI for the expenditure incurred under the Central Finance Commission. In the month of April 2021- 33,115 PRIs have transacted online using eGSPI for the expenditure incurred XV Finance Commission Grant.

9. The Ministry has rolled out an application - AuditOnline under e-panchayat Mission Mode Project (MMP). It allows for online audit of Panchayat accounts

and records detailed information about internal and external audit. For States to go live on AuditOnline, States are to provide pre-requisites viz. Audit flow, hierarchy data, risk-based categories etc. Information has been received from 25 States. 25 State have started registration of Auditors (5,757 Auditor registered) and preparation of Audit Plan (of 89,107 GPs in Year 2019-20 and 478 GPs in Year 2020-21) for Auditing 14th Finance Commission accounts. 24 States have started creating GP (Auditee) users (1,89,037 Auditees). 23 States have also recorded Observations (4,50,233 observations) on the application. Also, 19 States have generated audit reports (22,259 Reports).

10. MoPR has continuously been posting/ tweeting/ sharing/ retweeting/ reposting the IEC materials on COVID-19 Positive Behavioral Changes and also raising awareness about COVID-19 vaccination through Ministry of Panchayati Raj's social media platforms to maintain the momentum of intensive common fight against COVID-19 at grassroots level. Snippets from Hon'ble Prime Minister's inspiring speech delivered on the occasion of National Panchayati Raj Day–2021 with regard to spreading awareness about COVID-19 appropriate behaviour for stopping Coronavirus from entering the villages, ensuring vaccination for every eligible person and following the mantra of "Dawai Bhi Kadai Bhi" were publicised / disseminated intensively through social media interventions and bulk-SMSes. Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW)'s well-timed and significant advisory dated 5/4/2021 emphasising upon undertaking a mission mode approach towards implementation of COVID-19 Appropriate Behaviour across all Districts in the country was shared with States/UTs with a request to carry out a sustained campaign with focus on awareness creation on critical elements of COVID-19 Appropriate Behaviour with active involvement of Panchayati Raj Institutions, their elected representatives and functionaries for spreading awareness about COVID-19 Appropriate Behaviour in the community / villages. Ministry of Home Affairs (MHA)'s clarification issued vide letter dated 27/4/2021 on use of liquid oxygen for manufacturing of oxygen cylinders was shared with State / UT Departments

of Panchayati Raj with a request to disseminate the above clarification to the field agencies, so as to ensure unhindered manufacturing of liquid oxygen cylinders and Pressure Swing Absorption (PSA) plants for medical purposes.

11. Vide D.O. letter dated 1/4/2021, proposed activities during Week 4 [02.04.2021 – 08.04.2021] and Week 5 [09.04.2021 – 15.04.2021] were shared with States / UTs with a request to organise various activities with active participation of Panchayati Raj Institutions and other stakeholders with the further advice that set of activities suggested by the Ministry be revised/ customized according to their suitability/ convenience / choice/ content/ theme etc.

12. Hon'ble Prime Minister's letter dated 24th March 2021 on water conservation movement "Jal Shakti Abhiyan : Catch the Rain" addressed to all Sarpanch(es), as shared by Ministry of Jal Shakti, has been uploaded on the website of the Ministry of Panchayati Raj and the downloadable link has been shared with States/UTs vide MoPR D.O. letter dated 9/4/2021 with a request to take necessary steps to get the Hon'ble Prime Minister's letter dated 24th March 2021 delivered to the Sarpanch(es)/ Elected Heads of all Gram Panchayats in the country, initially of all States which were not going to polls then and later to the Sarpanch(es) of the election-bound States/UT (Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Puducherry) also after the elections (after 2nd May 2021).

13. The Ministry facilitated address and virtual interaction by Secretary, Department of Consumer Affairs, Government of India with Panchayats of Madhya Pradesh on Consumer Protection and related issues on 9th April 2021. This initiative has served as making possible meaningful and fruitful discussion between the policy-makers and Panchayats on the issues and interests of consumers and ensuring the better protection of consumer rights in rural India.

14. There were 30 grievances/petitions pending with Ministry as on 1st April, 2021 and 151 (i.e. 141 online + 10 physical) grievances/ petitions were received during the month of March. Out of total 181 (151 received in April + 30 carried forward from last month), 141 grievances/petitions were disposed in February and 40 were carried forward as on 1st May, 2021.

15. During April 2021, 66 e-files were opened in e-office system which constitutes 100% of the total files opened during the month.

****